

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

सुरेश चौधरी

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

37 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

14.06..2023

11.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्धराज जैन निवासी 21 साकेत कॉलोनी देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका महेश नर्सिंग होम के पास देवली जिला टोंक। पिनकोड-304804 मोबाईल नं0 8107707565।
- 2-मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका महेश नर्सिंग होम के पास देवली जिला टोंक पिनकोड-304025।
- 3-श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी 21 रिद्धि सिद्धी एनक्लेव एक्सोटिका गार्डन के सामने, बूंदी रोड कुन्हाडी शम्भुपुरा थर्मल कॉलोनी कोटा राज0 प्रो0 मेसर्स ऋषभ एन्टरप्राइजेज सीपी-2 रोड न0 7 इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया कोटा राज0। पिनकोड-324001
- 4- मेसर्स ऋषभ एन्टरप्राइजेज सीपी-2 रोड न0 7 इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया कोटा राज0। पिनकोड-324001।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51व 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री पवित्र मिश्रा उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 11.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2022 को समय 01:45 पीएम मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका महेश नर्सिंग होम के पास देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रता की हैसियत से श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्धराज जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका महेश नर्सिंग होम के पास देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी नमकीन, कन्फैक्शनरी, मसाले व अन्य खाद्य प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्धराज जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्धराज जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में खाद्य पदार्थ गुड़, तेल, घी नमकीन, कन्फैक्शनरी, मसाले व अन्य खाद्य प्रदार्थ के साथ-साथ दुकान की गोदाम में कागज के 10 कार्टून में पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 1-1 लीटर पैक मूंगफली तेल (मंगलम निवाई गोल्ड ब्राण्ड) रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्धराज जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्धराज जैन एव गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया ।

दुकान के गोदाम में कागज के 10 कार्टून में पैकड में से प्रत्येक 1-1 लीटर पैक में से मूंगफली तेल (मंगलम निवाई गोल्ड ब्राण्ड) के बैच नम्बर 9 एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2022 थी, की ज्यों का त्यों पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मूंगफली तेल (मंगलम निवाई गोल्ड ब्राण्ड) के 4 मूल पैक प्रत्येक 1-1 लीटर पैक के ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर अलग-अलग बराबर-बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3301 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3301 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्धराज जैन मैसर्स जे.के. प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका महेश नर्सिंग होम के पास देवली ने मौके पर बतोर वारन्टी मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राइजेज सीपी-2 रोड न0 7 इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया कोटा राज0 का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/3704 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3042/एक्ट/2022/3067 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मूंगफली तेल (मंगलम निवाई गोल्ड ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा



एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-standard) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री पवित्र मिश्रा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस मूंगफली तेल (मंगलम निवाई गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया मूंगफली तेल (मंगलम निवाई गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51, 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 11.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0